

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 14(4)शिक्षा-1/एकीकरण/सिरोही/2014

जयपुर, दिनांक : 26.9.17

:: आदेश ::

इस विभाग द्वारा राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वित किया गया था। विभिन्न स्तरों से प्राप्त परिवेदनाओं का परीक्षण के पश्चात निम्नलिखित समन्वित किए गए विद्यालयों को समन्वयन से पृथक कर स्वतंत्र रूप से संचालन की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र. स.	जिला	समन्वित किया गया विद्यालय	विद्यालय जिसमें समन्वित किया गया	समन्वयन के पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक	समन्वयन से पृथक किए जाने वाला कॉलम संख्या 3 पर अंकित विद्यालय
1	2	3	4	5	6
1	सिरोही	राउप्रावि नई आबादी जाबाल	राउमावि जाबाल	14.08.2014	राउप्रावि नई आबादी जाबाल
2	सिरोही	राप्रावि गोलूआ मडिया	राउमावि मडिया	14.08.2014	राप्रावि गोलूआ मडिया

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से,



(आर.एस. झालानी)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री, राज., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री, (स्वतंत्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
4. राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/ माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को भेजकर निर्देशानुसार लेख है कि समन्वयन से पृथक किए गए विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था संचालन हेतु पूर्ववत संचालन की व्यवस्था करावें
6. संभागीय आयुक्त, पाली
7. जिला कलक्टर सिरोही
8. संयुक्त/वरिष्ठ/उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/आयोजना/शिक्षा (ग्रुप-2, 5, 6) विभाग।
9. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, संभाग पाली
10. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, सिरोही
11. प्रभारी, शाला दर्पण/शाला दर्शन को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार शाला दर्पण/शाला दर्शन में इन्द्राज करें।
12. रक्षित पत्रावली।



(बी.के. गुप्ता)

विशेषाधिकारी, शिक्षा